कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), अमरोहा

पत्रांकः 1381 / अधि0 / स0सु0 / गति सीमा / 2020 दिनांकः 20 जून 2020

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटर यानों की गति परिसीमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यानों की या ऐसे मोटर यानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमांए नियत कर सकेगी जो ठीक समझे।

उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली–1998 के नियम 178 में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्तया मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गो के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिषेध का ऐसा आदेश जैसा कि वह उचित समझे दे सकता है, ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहॉ से लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेगें।

अतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 112 की उपधारा(2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमरोहा जनपद होकर निकलने / चलने वाले नगरीय निकायों के अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु निम्नानुसार नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट यानों के वर्ग के सम्बन्ध में अधिकतम गति नियत किया जाता है।

सारणी

क्रम सं.	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान चैनेज (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा (कि0मी0 प्रति घंटा)			
			टू व्हीलर / थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4, 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान
1	2	3	4	5	6	7
1	बदायूँ–बिल्सी–बिजनौर मार्ग, राज्यमार्ग–51	आदमपुर से शाहपुर कलां	40	60	60	50
2	बदायूँ–बिल्सी–बिजनौर मार्ग, राज्यमार्ग–51	दीपपुर गेट से भीकनपुर	40	60	60	50
3	बदायूँ–बिल्सी–बिजनौर मार्ग, राज्यमार्ग–51	तिगरी मोड़ से धनौरी	40	60	60	50
4	बदायूँ–बिल्सी–बिजनौर मार्ग, राज्यमार्ग–51	मण्डी धनौरा से रसूलपुर चौकी	40	60	60	50
5	नहटौर–नूरपुर–अमरोहा– जोया मार्ग, राज्यमार्ग–77	जोई से रायपुर	40	60	60	50
6	नहटौर–नूरपुर–अमरोहा– जोया मार्ग, राज्यमार्ग–77	अकबरपुर पट्टी से बादशाहपुर	40	60	60	50
7	धनौरा–अमरोहा–कांढ मार्ग, राज्यमार्ग–145	मलेशिया से पंजू सराय	40	60	60	50
8	धनौरा–अमरोहा–कांठ मार्ग, राज्यमार्ग–145	एवजाबाद से साहूपुर	40	60	60	50

9	अमरोहा–कैलसा–पाकबड़ा मार्ग, राज्यमार्ग–78	खैरासपुरा से पांयती कलां	40	60	60	50
10	जोया–सम्भल मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग–डब्लू0 157	असगरीपुर से मनौटा	40	60	60	50
11	हसनपुर–अतरासी–अमरोहा मार्ग, अन्य जिला मार्ग–3	करनपुर माफी से लक्ष्मण वाली मढैय्या	40	60	60	50
12	नौगावां–धनौरा मार्ग, अन्य जिला मार्ग–23	खेड़का से मल्लूपुरा	40	60	60	50
13	हसनपुर–सम्भल मार्ग, राज्यमार्ग–51	कालाखेड़ा से भगवानपुर	40	60	60	50
14	नांरगपुर–बदायूँ–बिजनौर मार्ग, अन्य जिला मार्ग–34	नारंगपुर से ढक्का मोड़	40	60	60	50

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर के प्रारम्भिक बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर संबंधित सड़क के स्वामित्त्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा।

(अ) अग्नि शमन वाहन

(ब) एम्बुलेंस

(स) पुलिस वाहन

(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम– 3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना का0आ0 1522 (अ), दिनांक 06.04.2018 समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

20/06/2020

(शिव शंकर सिंह)

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0)/

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद अमरोहा

O/C

पृ0सं0– (1)/अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित–

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।

2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।

3– जिलाधिकारी, अमरोहा।

4– पुलिस अधीक्षक, अमरोहा।

5– निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

6– अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) उ0प्र0।

7– उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), बरेली, उ0प्र0।

8– संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), मुरादाबाद।

9– सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), अमरोहा।

10– मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

11– अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।

12– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गों पर उपरोक्तानुसार गति निबन्धन सम्बन्धी बोर्ड प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

13– राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गों पर उपरोक्तानुसार गति निबन्धन सम्बन्धी बोर्ड प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

20/06/2020

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0)/

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद अमरोहा